

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 122/2019

<u>अपीलाण्ट</u>	<u>बनाम</u>	<u>रेस्पोंडेन्ट्स</u>
थानाधिकारी, पुलिस थाना मण्डोर जरिये श्री मनोज कुमार राणा		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर 2. जिला कलेक्टर जोधपुर 3. आयुक्त नगर निगम जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश जिला कलेक्टर जोधपुरदिनांक 08.07.2019 प्रकरण
क्रमांक:प.12(3-)/राज/आवंटन/19/4180दिनांक 8.7.19

उपस्थित-

1. श्री किसनाराम विश्नोई, वकील अपीलाण्ट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री जयपाल सिंह राठौड़, रेस्पोंडेन्ट संख्या 3
4. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता केवियटर श्री रविन्द्रसिंह



निर्णय

दिनांक 09.11.2022

उक्त अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक: 4180 दिनांक 08.07.2019 के विरुद्ध तत्समय विधि में प्रचलित प्रावधानों के तहत मूलतः राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष दिनांक 07.08.2019 को प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध पक्षकार होना जाहिर करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया, विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा इस बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर की गई।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

तदुपरान्त राजस्व ग्रुप-6 विभाग, राज. जयपुर की अधिसूचना क्रमांक:1(17) REV-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के तहत उक्त अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की होने से न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर से दिनांक 17.12.2019 को स्थानांतरित होकर प्राप्त हुई, जो सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर की गई।

इस अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध एक अन्य अपील संख्या 123/2019, अपीलांत श्री धनराज पुत्र रणछोडसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। इन दोनों अपील प्रकरणों में एक समान तथ्य एवं समान पक्षकार होने से दोनों ही अपीलों में एक साथ सुनवाई की गई। अपीलांत द्वारा वांछित अनुतोष भिन्न होने से दोनो अपीले पृथक-पृथक निर्णय से निर्णित की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी श्री रवीन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा ग्राम मण्डोर के ख0नं0 378 रकबा 19.06 बीघा किस्म बी-तृतीय में से 03 बीघा भूमि पुलिस विभाग को पुलिस थाना मण्डोर हेतु सेट-ए-पार्ट करने का आदेश क्रमांक: 11744 दिनांक 30.12.1989 को विज्ञो कर, आरक्षित भूमि को आरक्षण से मुक्त कर, स्थानीय निकाय नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित करने व इसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने संबंधी आदेश क्रमांक:प.12(3-)/राज/आवंटन/19/4180 दिनांक 08.07.2019 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलांत के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वर्ष 1989 में जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर की मांग पर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश क्रमांक 11744 दिनांक 30.12.1989 द्वारा ग्राम मण्डोर के खसरा नं0 378 रकबा 19.06 बीघा किस्म बरानी-III में से 03 बीघा भूमि पुलिस विभाग को पुलिस थाना मण्डोर हेतु सेट अपार्ट की गई थी। तत्पश्चात तहसीलदार जोधपुर के

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आदेश क्रमांक 209-13 दिनांक 30.12.1989 की पालना में हल्का पटवारी मण्डोर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 655 भरा गया जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 30.12.89 स्वीकृत किया गया व हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 30.12.89 के अनुसार थाना इन्चार्ज को कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त जमीन अप्रर्याप्त व अन्य लोगो के कब्जे की होने से पुलिस विभाग की मांग पर ग्राम मण्डोर के खसरा नं0 388/2 में से 5000 वर्गगज नवसृजित पुलिस थाना मण्डोर हेतु आवंटित की गई, जिस पर वर्तमान में पुलिस थाना बना हुआ है।

खसरा नं0 378 की 3 बीघा भूमि कई लोगों द्वारा अतिक्रमित होने से अपीलांत द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष चाराजोही की गई। जिस पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेशानुसार तहसीलदार जोधपुर द्वारा सभी अतिक्रमियों के विरुद्ध एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 14.10.2011 को अतिक्रमियों को फायदा पहुंचाने की नियत से मौके से पूर्ण रूप से बेदखल नही करने का अस्पष्ट आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांत एवं अन्य अतिक्रमण के प्रकरणों में प्रस्तुत अपीलों में न्यायालय अपर जिला कलेक्टर-द्वितीय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2013 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 14.10.2011 को निरस्त करते हुए, उक्त भूमि पर अतिक्रमण को मानते हुए, सभी प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड किये गये, जो विचाराधीन है।

अपीलांत के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त मामले में पुलिस विभाग, पुलिस थाना जोधपुर में नाम पारित ना0क0 संख्या 655 स्वीकृत दिनांक 30.12.1989 के विरुद्ध अतिक्रमी श्री मांगीलाल द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार कर उक्त स्वीकृत ना0क0 निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्रस्तुत हुई। जो तकनीकी आधार पर खारीज कर दी गई, जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत निगरानी सं0 6227/2021

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

थानाधिकारी पु०था० मण्डोर बनाम मांगीलाल में दिनांक 22.12.2021 को आगामी तारीख पेशी तक पारित स्थगन आदेश प्रभावी है।

अपीलांट द्वारा प्रभावित पक्षकार होने से नाते उक्त कार्यवाही की जा रही है, इस कारण न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। थानाधिकारी पु०था० मण्डोर द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील प्रकरण में ग्राम मण्डोर के ख० नं० 378 में से 03 बीघा भूमि को राजस्व नक्शे में तरमीमशुदा नये खसरा नं० 378/5 को जोधपुर मुख्य सड़क पर होना बताते हुए, पुलिस थाना मण्डोर को भविष्यवर्ती आवश्यकता होना बताया गया।

इसके अलावा अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा प्रार्थी श्री रविन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र पर पु०था० मण्डोर को 03 बीघा भूमि का सेट-ए-पार्ट आदेश विद्धो कर उक्त भूमि नगर निगम जोधपुर के नाम हस्तांतरित /दर्ज करने हेतु पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 4180 दिनांक 08.07.2019 को विधिसम्मत नहीं होना बताते हुए यह कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र रविन्द्रसिंह द्वारा बिना किसी हक, अधिकार के प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण की सुनवाई में अपीलांट-पुलिस विभाग/थानाधिकारी पु०था० मण्डोर को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर को संबोधित पत्र दिनांक 24.11.97 जिसमें उनके द्वारा पु०था० मण्डोर हेतु आरक्षित 03 बीघा भूमि की आवश्यकता नहीं होना बताया गया, के प्रति शंका व्यक्त करते हुए जिला कार्यालय से सेट-ए-पार्ट से संबंधित मूल रेकॉर्ड तलब कर अवलोकन फरमाने का आग्रह किया गया। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा सेट-ए-पार्ट आदेश निरस्त किए बिना नामान्तरकरण संख्या 215 को निरस्त किया जाना व तदुपरांत सेट-ए-पार्ट आदेश को विद्धो करना विधि अनुकूल नहीं होना बताते हुए वर्तमान में उक्त मामले में मा० राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश प्रभावी होना व मौके पर पुलिस थाना मण्डोर का कब्जा होना बताया गया। अंत में वकील अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर के अपीलाधीन दिनांक 08.07.2019 को अपास्त कर, अन्य कोई अनुतोष जो अपीलांट के पक्ष में हो, फरमाने का आग्रह किया गया।



डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जवाब में नगर निगम जोधपुर के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया गया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक: 4180 दिनांक 08.07.2019 के द्वारा पुलिस थाना मण्डोर हेतु आरक्षित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2060 में आरक्षण के रूप में इन्द्राज किया गया था। तत्पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक के पत्र क्रमांक 3366-68 दिनांक 24.11.1997 द्वारा अपनी मांग में संशोधन करते हुए खसरा नं० 378 में आरक्षित भूमि की बजाय खसरा नं० 388/2 में भूमि आवंटन की मांग की गई। उक्त संशोधित मांग अनुसार तत्का० नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा खसरा नं० 388/2 में से 5000 वर्गगज भूमि नवसृजित पुलिस थाना मण्डोर हेतु आदेश क्रमांक 258-59 दिनांक 23.04.1998 द्वारा आवंटित की गई, जिस पर पुलिस थाना मण्डोर का भवन पिछले 20 वर्षों से निर्मित व संचालित है। पुलिस अधीक्षक जोधपुर के उक्त पत्र में खसरा नं० 378 में से 03 बीघा आरक्षित भूमि की आवश्यकता नहीं होना व्यक्त किया गया, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में आरक्षण के रूप में इन्द्राज का कोई औचित्य नहीं होने से श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 द्वारा उक्त आरक्षित भूमि को आरक्षण से मुक्त कर स्थानीय निकाय नगर निगम जोधपुर को हस्तांतरित की गई।

श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक :राजस्व/पुलिस थाना/ मण्डोर/10/3062 दिनांक 06.05.2010 के निर्देशानुसार खसरा नं० 378/5, 379, 378, 1992/378 व 2074/76 कुल रकबा 26.02 बीघा के पूंजीगत मूल्य की राशि 293/-रूपये राजकोष में चालान संख्या 134 दिनांक 13.10.2011 से जमा करवा दिये गये थे। माफिक आदेश खसरा नं० 378/5 रकबा 03 बीघा के अलावा शेष 23.02 बीघा भूमि का अमल दरामद नगर निगम जोधपुर के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1955 दिनांक 05.09.2015 के जरिये कर दिया गया था। तत्समय सेट-ए-पार्ट आदेश व जमाबंदी में पुलिस थाना मण्डोर हेतु आरक्षण का इन्द्राज होने के कारण उक्त 03 बीघा भूमि का अमल दरामद स्थानीय निकाय के पक्ष में नहीं किया गया। अतः श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा सेट-ए-पार्ट आदेश को विद्वां कर, आरक्षित भूमि को आरक्षण से मुक्त की जाकर स्थानीय निकाय नगर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

निगम जोधपुर को हस्तांतरित करते हुए तहसीलदार जोधपुर को राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु औचित्यपूर्ण आदेश पारित किया गया है। जो विधिअनुकूल होने से इसे यथावत बहाल रखने का आग्रह किया गया।

केवियटर अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह आग्रह किया किया कि पुलिस थाना मण्डोर हेतु आरक्षित की गई 03 बीघा भूमि का पुलिस विभाग द्वारा मौका निरीक्षण के उपरांत, पुलिस थाना मण्डोर हेतु अन्य खसरा नं० 05 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई है। सेट-ए-पार्ट भूमि का म्युटेशन नहीं भरा जाना चाहिए था। प्रार्थी रविन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट ली जाकर सेट अपार्ट आदेश विद्धो किया गया है। उक्त भूमि में सरपंच ग्रा०पं० सुरपुरा द्वारा आवंटित पट्टे के आधार पर तत्का० नगर सुधार न्यास, जोधपुर विनिमय संलेख जारी किये गये हैं। अतः प्रकरण में विधिअनुकूल आदेश पारित करने का आग्रह किया गया।

केवियटर अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.11.2022 को प्रार्थना पत्र बाबत रेकॉर्ड की सूचना प्रस्तुत किया गया। जिसमें राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नं० 378 की भूमि की पुलिस थाना मण्डोर हेतु आवश्यकता नहीं है, ऐसा पत्र जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर द्वारा दिनांक 24.11.1997 को जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रेषित व तत्का० नगर सुधार न्यासच जोधपुर के कार्यालय में उपलब्ध होना व जिस पर नगर सुधार न्यास द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना मण्डोर हेतु खसरा नं० 378 के बजाय खसरा नं० 388/2 में से जमीन आवंटन का राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया बताया गया। प्रार्थना पत्र में लिहाजा रेकॉर्ड उक्त आवंटन से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की 'सूचना के अधिकार' के तहत प्राप्त प्रतिलिपी प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए यह आग्रह किया गया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पुलिस थाना मण्डोर हेतु आरक्षित 03 बीघा भूमि की पु.था. मण्डोर को आवश्यकता है, उक्त भूमि मुख्य सड़क पर स्थित है व वहां पर आज भी पुलिस के वाहन खड़े रहते हैं। नामान्तरकरण संख्या 215 के



डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

विरुद्ध मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी में स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। अतः पुलिस थाना मण्डोर की आवश्यकता को देखते हुए विधि अनुकूल निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार गुणावगुण पर मनन करने पर यह पाया जाता है कि :-

1. जिला कलेक्टर जोधपुर के सेट-ए-पार्ट आदेश क्रमांक: 11744 दिनांक 30.12.1989 से स्पष्ट है कि उक्त आदेश जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर के पत्र क्रमांक 335 दिनांक 23.05.1989 द्वारा नवीन पुलिस थाना मण्डोर हेतु भूमि की मांग पर तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मण्डोर के ख0नं0 378 रकबा 19.06 बीघा किस्म बी-तृतीय में से 03 बीघा भूमि पुलिस विभाग को पुलिस थाना मण्डोर हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत सेट अपार्ट की गई थी, जो आवंटन की भूमि नहीं हो सकती है। अतः उक्त आदेश के तहत तहसीलदार जोधपुर द्वारा आरक्षित भूमि का कब्जा सुपुर्द करना व इसका राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करना विधि विरुद्ध होने से न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 52/2017 अनवान मांगीलाल बनाम राज्य व पुलिस विभाग, थानाधिकारी मण्डोर में विस्तृत विवेचन के उपरांत तहसीलदार जोधपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.1989 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 655 को निरस्त कर, आरक्षित भूमि पुनः राज्य सरकार के पक्ष में की जाने हेतु निर्णय दिनांक 31.01.2018 पारित किया गया।
2. प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय हाजा में 02 अपीले प्रस्तुत की गई। जो राजस्व द्वितीय अपील संख्या 09/20018 अनवान पुलिस विभाग जरिये थानाधिकारी पु0था0 मण्डोर बनाम मांगीलाल व राज्य तथा राजस्व द्वितीय अपील संख्या 14/2018 अनवान धनराज बनाम मांगीलाल व अन्य में तत्कालीन संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा विस्तृत विधिक विवेचन के



डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

उपरांत पारित निर्णय दिनांक 02.03.2020 के द्वारा उक्त अपीले खारीज की गई तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2008 को यथावत बहाल रखा गया।

3. अदालत हाजा के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। जो निगरानी एल.आर.एक्ट सं0 6272/2021 अनवान पुलिस विभाग जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डोर बनाम मांगीलाल व राज्य में दिनांक 22.12.2021 को "न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02.03.2021 में अंकित विवादग्रस्त आराजी में उभय पक्ष आज के मौके एवं रिकॉर्ड को मण्डल के आगामी दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखने" हेतु अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया है।
4. प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में अतिक्रमण को लेकर अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार न्यायालय तहसीलदार जोधपुर में राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 14.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 26/2012 से 37/2012 तक कुल 12 अपीले में अपर जिला कलेक्टर-द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 31.01.2013 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2011 को निरस्त कर, सभी प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये। जो कि एक पृथक से विधिक कार्यवाही है।
5. प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर के पत्रांक:प.4()जोध-भवन/94/3366-68 दिनांक 24.11.1997 द्वारा की गई मांग अनुसार तत्का0 नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा खसरा नं0 388/2 में से 05 बीघा भूमि का आवंटन नवसृजित पुलिस थाना मण्डोर हेतु जरिये क्रमांक: 258-59 दिनांक 23.04.1998 द्वारा कर दिया गया है व आवंटित भूमि पर पुलिस थाना मण्डोर का भवन निर्मित व संचालित है। उक्त पत्र में खसरा नं0 378 में पुलिस थाना मण्डोर हेतु आरक्षित 03 बीघा भूमि की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है। उक्त तथ्यों का उल्लेख जिला कलेक्टर जोधपुर के अपीलाधीन आदेश क्रमांक 4180 दिनांक 08.07.2019 में भी भली भांति किया हुआ है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर




6. उक्त स्थिति में अपीलांट/केवियटर द्वारा इस न्यायालय से वांछित अनुतोष विधि सम्मत प्रतीत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर सारहीन व आधारहीन होने से, तदनुसार खारीज की जाती है तथा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक: 4180 दिनांक 08.07.2019 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09 नवम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(कैलाश चन्द मीना)
डिबिजनेस कमिश्नर
जोधपुर